सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 744 राँची, मंगलवार 31 जुलाई, 2018 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई, 2018

संख्या:-1/नीति-05-02/2015- 1150-- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखण्ड अधिनियम - II, 1915) की धारा 89 की उपधारा (1) एवं (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना संख्या- 1/नीति-05-02/2015-1241 दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा अधिसूचित "झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मदिरा के विभिन्न प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2017" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

नियम संख्या	**वर्तमान नियम**	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
24	झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सभी प्रकार के खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए प्रति दुकान अनुज्ञप्ति शुल्क 50000/- रूपया वार्षिक होगी। इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य	झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सभी प्रकार के खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए प्रति दुकान अनुज्ञप्ति शुल्क 50000/- रूपया वार्षिक होगी। इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य बिवरेजेज

	बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम से खुदरा उत्पाद दुकानों में परिवहन की जानेवाली मदिरा के लिए "उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty)" निम्न प्रकार होगा:- 1.भारत निर्मित विदेशी शराब - रू० 300 प्रति एल०पी०लीटर 2. बीयर एवं वाईन - रू० 15 प्रति बल्क लीटर 3. देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब - रू० 75 प्रति एल०पी०लीटर 4. आयातित विदेशी मदिरा - रू० 20 प्रति बल्क लीटर उत्पाद परिवहन कर की राशि दुकानदार बिक्री से की गई मात्रा के अनुसार साप्ताहिक रूप से जमा की जायेगी तथा गत माह बिक्री की गई मदिरा के उपर अधिरोपित किया जानेवाला पूर्ण उत्पाद परिवहन कर अगले माह के 5 तारीख तक जमा कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के उपरांत वर्तमान में थोक बिक्री गोदाम से भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर/आयातित विदेशी मदिरा के खुदरा उत्पाद दुकानों तक परिवहन के लिए वर्तमान में लगने वाले संचलन शुल्क समाप्त कर दिया जायेगा। वितरकता अनुज्ञाधारी द्वारा जमा किये जाने वाले उत्पाद कर की दर पर 10% की दर से सरचार्ज अधिरोपित किया जायेगा, जिसे अनुज्ञाधारी अपने वितरकता अनुज्ञप्ति परिसर में संचयन के पूर्व जमा करेगा।	कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम से खुदरा उत्पाद दुकानों में परिवहन की जानेवाली मदिरा के लिए "उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty)" निम्न प्रकार होगा:- 1.भारत निर्मित विदेशी शराब - रू० 375 प्रति एल०पी०लीटर 2. बीयर एवं वाईन - रू० 35 प्रति बल्क लीटर 3. देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब - रू० 85 प्रति एल०पी०लीटर 4. आयातित विदेशी मदिरा - रू० 350 प्रति बल्क लीटर 5. आयातित वाईन - रू० 250 प्रति बल्क लीटर उत्पाद परिवहन कर की राशि दुकानवार बिक्री से की गई मात्रा के अनुसार साप्ताहिक रूप से जमा की जायेगी तथा गत माह बिक्री की गई मदिरा के उपर अधिरोपित किया जानेवाला पूर्ण उत्पाद परिवहन कर अगले माह के 5 तारीख तक जमा कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के उपरांत वर्तमान में थोक बिक्री गोदाम से भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर/आयातित विदेशी मदिरा के खुदरा उत्पाद दुकानों तक परिवहन के लिए वर्तमान में लगने वाले संचलन शुल्क समाप्त कर दिया जायेगा। वितरकता अनुज्ञाधारी द्वारा जमा किये जाने वाले उत्पाद कर की दर पर 10% की दर से सरचार्ज अधिरोपित किया जायेगा, जिसे अनुज्ञाधारी अपने वितरकता अनुज्ञप्ति परिसर में संचयन के पूर्व जमा करेगा।

25	इस व्यवस्था के तहत झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का लाभांश झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के आकलन के आधार पर 5 से 10 प्रतिशत तक रह सकेगा। वर्तमान में यह लाभांश अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत किया जाता है। लाभांश के रूप में प्राप्त राशि में से झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड थोक एवं खुदरा अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करेगा तथा अपने स्थापना खर्च का वहन करेगा। बोर्ड के निर्णय के अनुसार अवैध मदिरा के चैर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने लाभांश में से कुछ राशि विभागीय आधारभूत संरचना मजबूत करने पर तथा वाहन, कम्प्यूटर इत्यादि मद में खर्च कर सकता है।	इस व्यवस्था के तहत झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का लाभांश झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के आकलन के आधार पर 5 से 10 प्रतिशत तक रह सकेगा। वर्तमान में यह लाभांश अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का 6 प्रतिशत किया जाता है। लाभांश के रूप में प्राप्त राशि में से झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड थोक एवं खुदरा अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करेगा तथा अपने स्थापना खर्च का वहन करेगा। बोर्ड के निर्णय के अनुसार अवैध मदिरा के चैर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने लाभांश में से कुछ राशि विभागीय आधारभूत संरचना मजबूत करने पर तथा वाहन, कम्प्यूटर इत्यादि मद में खर्च कर सकता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2018 से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धर्मवीर रमण,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 744 -- 200